

न्यायालय सुश्री सुधा कुमारी, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

पश्चात्

12.11.22 अभिलेख प्रस्तुत हुआ अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से ज्ञात होता है कि यह वाद लोक अदालत में दिनांक 12.11.2022 को निष्पादित हो गया है। अतः कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।